हुक्म		अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। अप्रार्थी सं. 1 से 5 की ओर से कोई उप नही अतः अप्रार्थी सं. 1 से 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है पत्रावली सरकार जवाब हेतु दि. 4/02/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)	
16/12/24	वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अग्रिम सुनवाई का पेश किया। पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वास्ते अवलोकन आदेश पत्रावली दिनांक 26/12/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)	
26/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अवलोकन किया गया विस्तृत निर्णय पृथक से तौर बाद पत्रावली के अन्त नि. किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नथ्थी की जावे। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण
राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 171/2023

1. महावीर सिंह पुत्र हिम्मत सिंह उम्र करीबन 25 वर्ष
2. भंवर कंवर पत्नि महीपाल सिंह उम्र करीबन 41 वर्ष
3. लोकेन्द्र सिंह पुत्र हिम्मत सिंह उम्र करीबन 38 वर्ष
   सर्व जाति राजपूत निवासी ग्राम धोलपुरिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1 श्याम सिंह पुत्र हिम्मत सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम धोलपुरिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।
2. दीपक कुमार पुत्र गोपाल लाल जाति नायक निवासी सरवाडी गेट, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
3. रंगलाल पुत्र गोपाल लाल जाति नायक निवासी सरवाडी गेट, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
4. उगमाराम पुत्र नाथूराम जाति भांभी निवासी ग्राम भावसिया तहसील परबतसर जिला नागौर राजस्थान।
5. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित वकील प्रार्थीः— श्री रामदेव गुर्जर
अप्रार्थीः— एकपक्षीय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर कथन किया प्रार्थीगण एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है जिनकी कब्जे—काश्त, खंडाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है जो प्रार्थी संख्या 01 की आराजी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ़ के वर्तमान खसरा नम्बर 1058/675 रकबा 0.2427 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1087/1056 रकबा 1. 0921 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.3348 हैक्टेयर, व प्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1057/675 रकबा 1.3753 हैक्टेयर भूमि है जिसमें प्रार्थीगण काबिज काश्त व उपयोग—उपभोग करते आ रहे है एवं चतुर्थ सीमा में काबिज काश्त अधिकार अभिलेख में इन्द्राज खातेदारो को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया जा रहा है।

उत्तरः— खसरा नम्बर 678 (अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी भूमि). खसरा नम्बर 677 (अप्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी भूमि), खसरा नम्बर 675 (गै०मु०छापर सरकारी आराजी)
दक्षिणः—खसरा नम्बर 769 गै०मु० नदी
पूर्वः— खसरा नम्बर 683 गै०मु०रास्ता
पश्चिमः— खसरा नम्बर 1088/1056 (अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी)

उपरोक्त सीमा मध्य स्थित कृषि भूमि उपरोक्त सीमा मध्य के स्थित है जो संलग्न नजरी नक्शा / राजस्व ट्रेस के अनुसार प्रार्थना पत्र में चतुर्थ सीमा में स्थित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण संयुक्त रूप से उपरोक्त वर्णित आराजीयात में काबिज काश्त है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है। एवं प्रार्थीगण की आराजी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के बीच भविष्य में मेड़, सींव, नींव को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही होने के लिये प्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित सीमा में पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जिससे भविष्य में किसी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

प्रकार का पडौसी खातेदारों से विवाद उत्पन्न न हो। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया गया जिसके तहत पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18.05.2023 को मौका पर्चा तैयार किया गया जो प्रार्थना पत्र के साथ फोटो प्रति संलग्न है एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी करवाना आवश्यक एवं प्रार्थीगण के विधिक अधिकार है जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का भविष्य में विवाद उत्पन्न न हो इस से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा सद्भाविक रुप से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में अपनी स्वयं कि आराजी में चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करवाने हेतु सद्भाविक रुप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र में सभी चतुर्थ सीमा में स्थित पडौसी खातेदारान की वस्तुस्थिती का वर्णन किया गया है एवं पक्षकार संयोजित किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित शर्तों कि व नियमो कि पालना करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य नींव, सींव का ठोस प्रमाण हेतु प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान पटवारी हल्का दिनांक 18.05.2023 को किया गया उपरोक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थीगण नींव, सींव में सीमा चिन्हीत करने बाबत् पत्थरगढी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा गया है जिससे प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की आराजी के पडौसी खातेदारान की आराजीयात की नींव, सीव को लेकर भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो एवं प्रार्थीगण की आराजीयात का पुख्ता चर्तुथ सीमा प्रमाण सिद्ध हो सके एवं प्रार्थीगण अपनी आराजीयात को अधिक विकसित कर पडौसी खातेदारान से मधुर सम्बन्ध कायमता में किसी प्रकार की आंच अथवा अडचन उत्पन्न न हो एवं प्रार्थीगण के विविध अधिकारों का संरक्षण हो सकें जो प्रार्थना पत्र कारण निरन्तर जारी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार प्राप्त है एवं प्रार्थना पत्र में मियाद जैसा प्रश्न निहित नहीं है एवं प्रार्थना पत्र पर उचित न्याय शुल्क चस्पा है एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में पारित निर्णय के पश्चात् कमिश्नर नियुक्ति की विधिक शुल्क जमा करवाने हेतु प्रार्थीगण तैयार व तत्पर है। प्रार्थीगण एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है जिनकी कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग, खातेदारी की आराजीयात ग्राम खंडाच पटवार हल्का खंडाच तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित है जो प्रार्थी संख्या 1 की आराजी ग्राम खंडाच तहसील किशनगढ के वर्तमान खसरा नम्बर 1058/675 रकबा 0.2427 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1087/1056 रकबा 1.0921 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.3348 हैक्टेयर, व प्रार्थी संख्या 2 व 3 की सहखातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1057/675 रकबा 1.3753 हैक्टेयर भूमि की राजस्व ट्रेस /जमाबन्दी के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें। अप्रार्थी संख्या 5 को निर्देशित किया जावे कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना त्वरित गति से की जावे, एवं माननीय न्यायालय के आदेश की पालना हेतु सम्बन्धित थानाधिकारी महोदय, को आदेशित किया जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें। अन्य अनुतोष श्रीमान् उचित समझे प्रार्थीगण के पक्ष में सादर फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.07.2023 को दर्ज क्रमांक 171/2023 पर दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 10.12.2024 तक भी बावजूद तामिली उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

दिनांक 26.12.2024 को हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया। हमने वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम खंडाच स्थित भूमि खसरा संख्या 1058/675, 1087/1056 केवल प्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज है तथा खसरा संख्या 1057/675 प्रार्थी 02, 03 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वादअधीन भूमि जिसमें पत्थरगढी चाही गई है उनके पृथक पृथक खाता संख्या है। जबकि एक ही प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 18.05.2023 में वादअधीन खसरों के सीमाज्ञान पर सहमति व्यक्त की गई है जिसके कारण अन्य कोई अनुतोष न्यायालय द्वारा देय नहीं है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राज. अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 26/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)